HIG-2-B/1/5/2022-XXIV-C-2-Higher Education Department
230482/2023/Higher Education Section 2
I/17015/2023

संख्याः 17015/XXIV-C-2/04(06)2022

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्याधीन विश्वविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

2. निदेशक
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 21 नवम्बर, 2023

विषयः उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में योग प्रशिक्षकों (ट्रेनर) की तैनाती (आउटसोर्स के माध्यम से) किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में योग के प्रचार–प्रसार एवं संवर्धन सहित राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य वि0वि0 में कार्यरत् शिक्षकों, कार्मिकों एवं छात्र–छात्राओं तथा निकटवर्ती क्षेत्रों से आम–जनमानस को योग के प्रति जागरूक करने एवं उनको योग के नियमित अभ्यास में सहयोग करते हुए योग प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 123 योग प्रशिक्षकों (ट्रेनर) की तैनाती (आउटसोर्स के माध्यम से) किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं :–

1. राज्य में अवस्थित 119 शासकीय महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति/तैनाती की जायेगी।
2. योग प्रशिक्षक की तैनाती आउटसोर्स के माध्यम से नितान्त अस्थायी रूप से 11 माह हेतु की जाएगी। 11 माह के पश्चात् पुनः विज्ञापन के माध्यम से नवीन तैनाती की जाएगी, जिसमें पूर्व से कार्यरत् योग प्रशिक्षकों की संतोषजनक सेवा होने पर वरीयता प्रदान की जाएगी।
3. योग प्रशिक्षकों (ट्रेनर) की तैनाती हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा/कुलसचिव, सम्बन्धित वि0वि0 के स्तर से विज्ञापन प्रकाशित किए जायेंगे तथा तैनाती प्रक्रिया पारदर्शिता के आधार पर सम्बन्धित महाविद्यालय/वि0वि0 के प्राचार्य/कुलसचिव के स्तर से निर्धारित की जाएगी।
4. योग प्रशिक्षकों (ट्रेनर) की संस्थान में न्यूनतम कार्यावधि 03 घंटे की होगी, जो सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा सम्बन्धित वि0वि0 के कुलसचिव द्वारा निर्धारित की

जायेगी, जो सामान्य तौर पर नियमित कक्षा संचालन की अवधि से पृथक होगी।

5. 'योग प्रशिक्षक' प्राचार्य द्वारा उपलब्ध करायी गयी समय–सारिणी एवं निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हुए संस्थान के शिक्षकों, कार्मिकों, छात्र–छात्राओं एवं निकटवर्ती क्षेत्रों से आम–जनमानस को योग का नियमित अभ्यास एवं प्रशिक्षण करायेंगे।
6. 'योग प्रशिक्षक' राजकीय महाविद्यालयों के अतिरिक्त निकटवर्ती राजकीय एवं निजी विद्यालयों में भी योग का प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता का कार्य करेंगे।
7. 'योग प्रशिक्षकों' (ट्रेनर) को प्रतिदिवस न्यूनतम ₹300/– प्रति वादन एवं प्रतिमाह अधिकतम ₹18,000/– की दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
8. योग प्रशिक्षण अभ्यास हेतु अधिकतम ₹100/– का वार्षिक 'पंजीकरण शुल्क' देय होगा, जो महाविद्यालय के संगत खाते में रखा जाएगा तथा 'योग दिवस' या अन्य सम्बन्धित अवसरों पर जागरूकता कार्यक्रम आदि के संचालन पर प्राचार्य की अनुमति से व्यय किया जाएगा।
9. योग प्रशिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हता आदि का विवरण निम्नानुसार है:–

   (क) किसी मान्यता प्राप्त वि0वि0 से योग/योग विज्ञान/योग चिकित्सा/योग शिक्षा में पी0जी0 (पूर्ण पाठ्यक्रम) या समकक्ष उपाधि।

   अथवा

   किसी मान्यता प्राप्त वि0वि0 अथवा योग शिक्षा में प्रतिष्ठित संस्थान से योग/योग विज्ञान/योग चिकित्सा/योग शिक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा पी0जी0 (पूर्ण पाठ्यक्रम) या समकक्ष उपाधि।

   (ख) योग शिक्षा में अध्यापन एवं प्रशिक्षण का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव।

10. योग प्रशिक्षकों की तैनाती किए जाने में यथासंभव स्थानीय युवाओं को वरीयता दी जाएगी।
11. प्रत्येक महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में आहूत किये जाने वाले प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र/वादन के लिए एक पंजिका तैयार की जायेगी तथा प्रत्येक सत्र में प्रतिभाग करने वाले छात्रों की संख्या प्रमाणित कर योजना/व्यवस्था का मूल्यांकन वर्ष/सत्र के अन्त में किया जायेगा। साथ ही अगले सत्र से पूर्व निरन्तरता हेतु मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी।
12. आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिकों का नियोजन किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–111, दिनांक 27 अप्रैल, 2018 (समय–समय पर यथासंशोधित), कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–922, दिनांक 11 अगस्त, 2023 एवं कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 166806, दिनांक 06 नवम्बर, 2023 का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
13. राजकीय महाविद्यालयों में नियुक्त 'योग प्रशिक्षकों' (ट्रेनर) का मानदेय का भुगतान आय–व्ययक की अनुदान संख्या–11 के राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–103–राजकीय कौलेज तथा संस्थान–03–राजकीय उपाधि महाविद्यालय योजना के 27––व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद से किया जायेगा तथा विश्वविद्यालयों में नियुक्त योग

HIG-2-B/1/5/2022-XXIV-C-2-Higher Education Department
82/2023/Higher Education Section 2
70151/2023

प्रशिक्षकों को मानदेय का भुगतान विश्वविद्यालय के स्रोतो से किया जाएगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या I/169689/2023 दिनांक 20 नवम्बर, 2023 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shailesh
Bagauli
Date: 21-11-2023 14:57:49

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या: 170151/XXIV-C-2/04(06)2022, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– समस्त कुल सचिव, राज्याधीन विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
8– समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
9– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
10– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
11– वित्त अनु0–3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12– संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
13– अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, 3 एवं 4 उत्तराखण्ड शासन।
14– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Deepak Kumar
Date: 21-11-2023 16:56:37

उच्च शिक्षा निदेशालय
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)
पृ0सं0:– 4975/डिग्री प्लान/2023–24
दिनांक: 22 नवम्बर, 2023

प्रतिलिपि: – समस्त कुल सचिव, राज्याधीन विश्वविद्यालय एवं समस्त प्राचार्य, शासकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वे अनिवार्य रूप से शासन के पत्र संख्या– 170151/XXIV-C-2/04(06)2022 दिनांक 21 नवम्बर, 2023 के अनुपालन में की गयी अपेक्षानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 सी0 डी0 सूँठा)
निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)